न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 55 / 2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 307

1. स्वर्ण कौर पत्नी जगतार सिंह पुत्री बूड सिंह जाति रायसिख निवासी पुरानी आबादी केदार चौक, श्रीगंगानगर —अपीलार्थी

बनाम

1. चन्द सिंह उर्फ विधिकचन्द सिंह पुत्र नादर सिंह जाति रायसिख निवासी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ
3. करतार कौर पत्नी बूडसिंह जाति रायसिख निवासी पुरानी आबादी केदार चौक, श्रीगंगानगर...(मृतक)
4. रेशमा पुत्री बूड सिंह जाति रायसिख निवासी पुरानी आबादी केदार चौक, श्रीगंगानगर
5. मनजीत उर्फ सीता पुत्री बूड सिंह जाति रायसिख निवासी पुरानी आबादी केदार चौक, श्रीगंगानगर

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री तिलकराज चुघ, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री अजीत सिंह, श्री दिनेश कामरा अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1
3. तहसीलदार अनूपगढ़, प्रत्यर्थी सं. 2
4. एकपक्षीय, प्रत्यर्थी सं. 3,4,5

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 26.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. हस्तगत प्रकरण अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ के न्यायालय में दिनांक 08.03.2018 को दर्ज(प्र.सं. 20 / 2018) हुआ था। पत्रावली इस न्यायालय को हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दिनांक 26.09.2023 को दर्ज की गयी। अपीलार्थी के द्वारा तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 18.06.1991 जिसके द्वारा चक 4 एसपीएस तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं. 293 / 369 की 24 बीघा कृषि भूमि का वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 के नाम से इंतकाल सं. 3 दिनांक 18.06.1991 स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थी को तलब किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा बूड सिंह पुत्र रत्न सिंह के नाम की उक्त भूमि का वसीयत के आधार पर चन्द सिंह पुत्र बूड सिंह के नाम से इंतकाल को आलौच्य आदेश दिनांक 18.06.1991 के द्वारा स्वीकृत किया गया हैं। इस पर अपीलार्थी के द्वारा इन तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की हैं कि भूमि अपीलांट व रेस्पों. सं. 3 से 5 के पति/पिता बूड सिंह को आवंटित हुई थी, प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा अपने आपको मृतक बूड सिंह का बेटा बनकर बूड सिंह की तथाकथित वसीयत दिनांक 23.05.1989 तैयार कर अपने नाम से भूमि का इन्तकाल दर्ज करवा लिया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिए आलौच्य आदेश पारित किया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत की सत्यतता की जांच किए बिना आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:52:40 IST
Reason: SelfAttested

पारित किया गया हैं। अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 के प्रतिरूपण किये जान हेतु एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 515/2012 पुलिस थाना अनूपगढ़ में दर्ज करवाई गयी जिसमें अनुसंधान के पश्चात पुलिस थाना सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रत्यर्थी सं. 1 के द्वारा अपीलाधीन कृषि भूमि के संबंध में अपीलार्थी के विरूद्ध सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जो सिविल न्यायालय से निरस्त हो चुका हैं। कूटरचित वसीयत के आधार पर किया गया इन्तकाल प्रारम्भ से शून्य हैं। आलौच्य आदेश निरस्त करते हुए अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 3 से 5 के नाम से विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

3. प्रत्यर्थी सं. 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रत्यर्थी सं. 3 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। उभयपक्ष की ओर से लिखित बहस प्रकरण में पेश हुई। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं. 1 के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए अपीलाधीन कृषि पर अपने हितों के संबंध में ऐसे तथ्य उठाए हैं जिनको मेरिट पर निर्णिय किया जाना न्यायसंगत हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र 96 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकर कर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता हैं और अपील अन्दर मियाद मानते हुए ग्रहण की जाती हैं।

4. प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से अपील के द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रति निर्णय माननीय सिविल न्यायधीश, अनूपगढ़ प्र.सं. 02/13 चंद सिंह बनाम स्वर्ण कौर आदि निर्णय दिनांक 28.05.2015, छायाप्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 658 दिनांक 11.09.2012 आदि प्रकरण के निर्णय हेतु आवश्यक दस्तावेज हैं जिन्हें न्यायहित में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में पत्रावली पर ग्रहण किया जाना आवश्यक हैं। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27(ख) के प्रावधानों के तहत उक्त दस्तावेजों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाता हैं।

5. उक्त के अतिरिक्त प्रत्यर्थी सं. 1 के द्वारा दिनांक 11.11.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी मय दस्तावेज यथा निर्णय माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ प्र.सं. 629/2016 राज. राज्य बनाम चंद सिंह उर्फ विधिचंद सिंह पुत्र नादर सिंह उर्फ बूड़ सिंह अन्तर्गत धारा 420 भा.द.सं. निर्णय दिनांक 07.08.2018 आदि प्रस्तुत कर [illegible] को रिकार्ड पर लिए जाने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] निवेदन किया हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निर्णय [illegible] 07.08.2018 [illegible] विरूद्ध न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ़ में अपील जैरकार हैं। प्रस्तु[illegible] दस्तावेजों का अपील के साथ कोई सरोकार नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा स्वंय अपनी अपील में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रत्यर्थी सं. 1 के विरूद्ध दर्ज करवाये जाने का तथ्य अंकित किया गया हैं। तथा प्रकरण में मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:52:40 IST
Reason: SelfAttested

आवंटी बूड सिंह के वारिसान अपीलार्थी होने अथवा प्रत्यर्थी सं 1 होने के संबंध में उभयपक्ष में विरोध हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में न्यायोचित निर्णय हेतु प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेते हुए अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाता हैं।

6. उभयपक्ष अधिवक्तागण को अपील पर सुना गया। अपीलार्थी के द्वारा मुख्य रूप से यह कथन न्यायालय के समक्ष रखा हैं कि भूमि अपीलार्थी के पिता बूड़ सिंह पुत्र रत्न सिंह को आवंटित हुई थी। प्रत्यर्थी सं. 1 के द्वारा बूड सिंह का कूटरचित दस्तावेज के आधार पर पुत्र बनकर फर्जी वसीयत तैयार करवा अपने नाम भूमि रिकार्ड में दर्ज करवा ली हैं। आलौच्य आदेश को खारिज करने हेतु निवेदन किया हैं। सिविल न्यायालय में भी प्रत्यर्थी सं. 1 चन्द सिंह द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज हो चुका हैं। प्रत्यर्थी चंद सिंह वास्वत में विधिकचन्द पुत्र नादर सिंह हैं। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा भी इस तथ्य की अपने निर्णय में पुष्टि की हैं। वसीयत के गवाह द्वारा सिविल न्यायालय में वसीयत पर उनके अंगूठा निशानी होने से इंकार किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा निर्णय पारित करते समय अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा ना ही वसीयत की सत्यतता की जांच की गयी हैं। इसलिए आलौच्य आदेश को निरस्त कर भूमि अपीलार्थी एवं बूड सिंह के अन्य वारिसान के नाम से रिकार्ड में विरास्तन आधार पर दर्ज किये जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया हैं।

7. प्रत्यर्थी सं. 1 के अधिवक्ता के द्वारा बहस एवं लिखित बहस के द्वारा निवेदन किया गया हैं कि अपीलार्थी के पिता का नाम बूड सिंह पुत्र शीतल सिंह था, जबकि प्रत्यर्थी के पिता का नाम बूड़ सिंह पुर रत्न सिंह हैं, भूमि बूड सिंह पुत्र रत्न सिंह को आवंटित हुई हैं, जो बाद में वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थी को प्राप्त हो चुकी हैं। भूमि दिनांक 16.04.1971 को परिवार के सदस्यों के आधार पर आवंटित हुई तथा दिनांक 04.12.1991 को जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा सनद जारी की गई। बूड़ सिंह पुत्र रतन सिंह के द्वारा के द्वारा अपने जीवनकाल में ही भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत प्रत्यर्थी के पक्ष में कर दी थी। बूड़ सिंह की मृत्यु दिनांक 12.08.1986 को समेलपुरा में हो गई थी। मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत 90 जीबी द्वारा दिनांक 07.12.1987 को जारी किया गया। प्रत्यर्थी का भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा हैं। अपीलार्थी के पिता का नाम बूड़ [illegible] शीतल सिंह हैं। अपीलांट के पिता की मृत्यु दिनांक 16.03.1996 को [illegible] आबादी श्रीगंगानगर में हो चुकी हैं। अपीलांट द्वारा अपने पिता बूड़ सिंह [illegible] शीतल सिंह उर्फ रतन सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 31.12.2015 को एवं [illegible] दिनांक 11.06.2016 को बूड़ सिंह पुत्र शीतल सिंह के नाम से जारी करवाया हैं। विधानसभा निर्वाचक नामावली में नाम बूड़ सिंह पुत्र शीतल सिंह दर्ज हैं। अपीलांट के पिता बूड सिंह पुत्र शीतल सिंह ने अपने जीवनकाल में कृषि भूमि आवंटित करवाने हेतु कोई आवेदन पेश नहीं किया था एवं ना ही उसके नाम से कोई भूमि आवंटित हुई थी। अपीलांट द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज०)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:52:40 IST
Reason: SelfAttested

पुलिस थाना अनूपगढ़ में धारा 420 आईपीसी का झूठा मुकदमा प्रत्यर्थी के विरूद्ध दर्ज करवाया। उक्त मुकदमा में न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को दोषमुक्त किया गया हैं। अपीलार्थी, प्रत्यर्थी की भूमि हड़पने के उद्देश्य से अपील प्रस्तुत की हैं। अपीलार्थी के पिता को कभी भूमि आवंटन नहीं हुई ना ही अपीलार्थी या उसका परिवार गांव पक्की में रहा हैं। अपीलार्थी एवं उसका परिवार हमेशा से ही पुरानी आबादी श्रीगंगानगर का निवासी रहा हैं तथा वर्तमान में वहीं निवास कर रहा हैं। अपील अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया। प्रत्यर्थी अधिवक्ता के द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2020 आरबीजे पेज सं. 221 एवं 2020 आरबीजे पेज सं. 681 की प्रति प्रस्तुत की।

8. उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर गहनता से मनन किया। पत्रावली का परिशीलन किया। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार अनूपगढ़ दिनांक 18.06.1991 के द्वारा अपीलाधीन भूमि बूड सिंह पुत्र रतन सिंह की चक 4 एसपीएस तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं. 293/369 की 24 बीघा कृषि भूमि का वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 चन्द सिंह के नाम से इंतकाल सं. 3 दिनांक 18.06.1991 स्वीकृत किया गया है, इस संबंध में अपीलार्थी के द्वारा इस आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी हैं कि प्रत्यर्थी चन्द सिंह बूड़ सिंह का वारिस नहीं हैं, उसके पिता का नाम नादर सिंह हैं, उसका सही नाम विधिकचन्द हैं। विधिचन्द द्वारा प्रतिरूपण कर बूड़ का वारिस बनकर झूठी वसीयत बूड सिंह की अपने पक्ष में तैयार करवाकर भूमि अपने नाम से दर्ज करवा ली हैं। प्रत्यर्थी द्वारा मा. सिविल न्यायालय में जो उक्त भूमि के संबंध में वाद दायर किया था वह खारिज हो चुका हैं। प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उठाए हैं कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी की भूमि को हड़पना चाहती हैं। अपीलार्थी के पिता बूड़ सिंह पुत्र शीतल सिंह हैं, जबकि प्रत्यर्थी के पिता बूड़ सिंह पुत्र रतन सिंह हैं। अपीलार्थी के पिता को कभी भूमि आवंटन नहीं हुआ हैं। प्रत्यर्थी के पिता बूड़ सिंह पुत्र रत्न सिंह को भूमि आवंटन हुई थी, तथा इसके पश्चात उक्त भूमि वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थी के नाम से दर्ज हो चुकी हैं। जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा सनद भी जारी की जा चुकी हैं। अपीलार्थी द्वारा जो अपराधिक मामला प्रत्यर्थी के विरूद्ध दर्ज करवाया था उसका निर्णय भी अपीलार्थी के विरूद्ध हो चुका हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

9. उभयपक्ष के तथ्यों पर गौर करने पर न्यायालय मुख्य रूप से इस निष्कर्ष पर पंहुचा हैं कि भूमि बूड सिंह को आवंटन हुई हैं। अपीलार्थी द्वारा स्वयं को बूड सिंह का वारिस बताया जा रहा हैं तथा प्रत्यर्थी को [illegible] बदलकर बूड सिंह का पुत्र बनने का दावा किया है [illegible] उक्त भूमि के आवंटी बूड सिंह का वा[illegible] जिसके पिता का नाम शीतल सिंह है का वारिस होना बताया हैं। अतः सर्वप्र[illegible] इस बिन्दू पर विचार किया जाना आवश्यक हैं कि जिस मूल आवंटी बूड़ को भूमि का आवंटन हुआ हैं उसके वारिस अपीलार्थी अथवा प्रत्यर्थी सं. 1 में से कौन हैं?

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:52:40 IST
Reason: SelfAttested

10. माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश, अनूपगढ़ के द्वारा दीवानी वाद सं. 02/2013 चंद सिंह बनाम स्वर्ण कौर आदि बाबत शाश्वत व्यादेश, घोषणात्मक एवं आदेशात्मक

जिला कलक्टर अनूपगढ़

में दिनांक 28.05.2015 को निर्णय पारित किया गया हैं। उक्त वाद हस्तगत अपील के प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं. 3 के विरूद्ध अपीलाधीन भूमि के संबंध में दायर किया था। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक पर निर्णय पारित करते हुए निर्णय की मद सं. 7 से 11 में सारतः यह निष्कर्ष निकाला हैं कि विधिक चन्द पुत्र नादर सिंह नाम से अवश्य ही कोई पहचान अस्तित्व में रही हैं। प्रत्यर्थी चन्द सिंह एवं विधिक चन्द पृथक–पृथक व्यक्ति हैं इसे सिद्ध करने में माननीय न्यायालय में वादी(प्रत्यर्थी) असफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय में वसीयत के गवाह द्वारा भी प्रत्यर्थी चंद सिंह के विरोधाभासी कथन किये हैं, और वसीयत पर उनके अंगूठा निशानी होने से इंकार किया हैं। जिससे वसीयत भी संदेह में आ जाती हैं। अतः माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में निष्कर्षतः यह प्रमाणित हैं कि प्रत्यर्थी चंद सिंह ही विधिकचन्द पुत्र नादर सिंह हैं, जो बूड सिंह का वारिस नहीं हैं एवं वसीयत बूड सिंह बहक चन्द सिंह जिसके आधार पर भूमि प्रत्यर्थी के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड की गयी हैं वसीयत के समय भूमि पर बूड सिंह को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे। प्रत्यर्थी के द्वारा स्वयं भूमि की सनद दिनांक 04.12.1991 को जारी होना बताया हैं। अतः बूड सिंह वसीयत करने के अधिकारी नहीं थे। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी सं. 1 के द्वारा बूड़ सिंह की मृत्यु दिनांक 12.08.1986 को होना दर्शाया हैं, मा. सिविल न्यायालय अनूपगढ़ में प्रस्तुत वाद में वसीयत की दिनांक 11.08.1986 दर्ज करवाई हैं परन्तु आलौच्य आदेश में वसीयत की दिनांक 23.05.1989 अंकित हैं, जबकि प्रत्यर्थी के अनुसार तो उनके पिता की मृत्यु दिनांक 12.08.1986 को हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में वसीयत संदेहास्पद हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

11. पत्रावली का परिशीलन किये जाने पर पाया गया हैं कि अपीलार्थीया द्वारा पुलिस थाना अनूपगढ़ में प्रत्यर्थी के विरूद्ध दर्ज करवाई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ द्वारा प्र.सं. 629/2016 राजस्थान राज्य बनाम चंद सिंह उर्फ विधिकचंद अपराध अंत. धारा 420 भा.द.सं. में पारित निर्णय दिनांक 17.08.2018 के अनुसार अपलार्थीया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित करवाया हैं कि "परिवादीया के पिता का बुड सिंह पुत्र रतन सिंह के नाम से चक 4 एसपीएस का मु.नं. 293/369 की 24 बीघा भूमि दिनांक 16.04.74 को आवंटित हुई थी। परिवादीया के पिता का [illegible] चुका हैं। परिवादीया के पिता के नाम से उक्त जमीन [illegible] 1 का पिता व शेष विपक्षीगण का दादा/[illegible] पिता के नाम से उक्त रकबा आवंटन करवाया और उस पर अपनी फोटो ल[illegible] व अपने सभी वारिसान के नाम नहीं लिखे। सारे वारिसान के नाम इस प्रकार है, तारो बोई, बचनो बाई, करतारो बाई, शीलो देवी, पारो देवी व पुत्र चंद सिंह हैं। परिवादीया के पिता ने भी आवंटन आवेदन भरा था। मुलजिम के नाम से रकबा आवंटित नहीं हो सकता था क्योंकि मुलजिम के पास पक्की में पहले से 28 बीघा भूमि थी, इस कारण परिवादीया के

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:52:40 IST
Reason: SelfAttested

पिता के नाम से उक्त रकबा आवंटित करवा दिया व कब्जा में आकर बैठ गया। परिवादीया के पिता इस आवंटन का पता लगाते लगाते स्वर्गवास हो गया।"

12. अतः अपीलार्थीया द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया हैं कि उनके पिता को कभी भूमि आवंटित नहीं हुई हैं, प्रत्यर्थी सं. 1 के पिता नादर सिंह के द्वारा अपीलार्थी के पिता का नाम एवं फोटो प्रयोग करते हुए भूमि आवंटित करवाई हैं। अपीलार्थी के पिता को उक्त आवंटित भूमि का ज्ञान भी नहीं था। साथ ही प्रकरण में प्रस्तुत आवंटन आवेदन पत्र में बूड़ सिंह पुत्र रतन सिंह द्वारा दर्ज करवाए गये परिवार के सदस्यों के नाम बागा बाई, चान्द सिंह, पारा बाई व मुण्डी दर्ज करवाए हैं, अपीलार्थीया का नाम भी भूमि आवंटन आवेदन पत्र में दर्ज नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जब भूमि अपीलार्थीया के पिता को आवंटित ही नहीं हुई तो अपीलार्थीया उक्त भूमि में अपने नाम से विरास्तन नामान्तरण करवाने की अधिकारी नहीं हैं।

13. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष हैं कि अपीलाधीन भूमि का आवंटन वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए गलत सूचना के आधार पर करवाया गया हैं। जो राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 11 के तहत उपनिवशेन/काश्तकारी शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण धारा 14 के तहत दण्डनीय हैं।

14. अतः राज्यहित में तहसील अनूपगढ़ के चक 4 एसपीएस तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं. 293/369 के कि.नं. 1 से 25 की 24 बीघा कृषि भूमि को आराजीराज दर्ज करते हुए भूमि का कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश तहसीलदार अनूपगढ़ को दिए जाते हैं। तहसीलदार अनूपगढ़ को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे।

15. उपर्युक्त निर्देशों के प्रकाश में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं साथ ही आलौच्य आदेश तहसीलदार अनूपगढ़ दिनांक 18.06.1991 को भी अपास्त किया जाता हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 26.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़ **I.A.S**
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:52:40 IST
Reason: SelfAttested